

उत्तर प्रदेश शासन  
संस्थागत वित्त (कर एवं निबंधन) अनुभाग-6  
संख्या-सं0वि0क0नि0-2180)/दस-2017-(बी0)सं0वि0क0नि0-6/2017  
लखनऊ: दिनांक 09 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ किये जाने की योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार को संस्तुतियां प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-134(बी)/01(बी)सं0वि0क0नि0-6/2017 दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा गठित समिति में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सदस्य के रूप में मनोनीत किये जाने हेतु एतद्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

2- समिति निम्नानुसार पुनर्गठित समझी जायेगी -

(1)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(2)	कृषि उत्पादन आयुक्त।	सदस्य
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(6)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(7)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(8)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(9)	संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।	सदस्य

3- समिति के निदेश पद (Terms of Reference) निम्नानुसार हैं -

- (1) ऋण माफी योजना के स्वरूप का प्रस्ताव तैयार किया जाना।
- (2) गैर निष्पादित आस्तियों (NPA) के निस्तारण हेतु एकमुश्त समाधान योजना के स्वरूप का प्रस्ताव तैयार करना।
- (3) योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया का निर्धारण (Methodology)